



DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

under the aegis of

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

is organising

National Lok Adalat

on **Sunday, 10th December, 2023**



for amicable settlement of all types of Civil and Criminal Compoundable Cases

From 10:00 AM to 4:00 PM

at High Court of Delhi, all District Courts, Debt Recovery Tribunals,
Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission, District Consumer
Disputes Redressal Commissions and Permanent Lok Adalats

- Litigants & Lawyers are advised to visit the designated Court Complex & Court room to avoid inconvenience. Parties may move an application for referral of their cases before Concerned Court where their cases are pending.
- In case of pre-litigation, parties may move application before this Authority either by email, or otherwise by 30th November, 2023.

FOLLOWING CATEGORIES OF CASES WOULD BE TAKEN UP IN LOK ADALAT:-

- | | |
|---|--|
| (i) Criminal Compoundable Offences; | (vii) Matrimonial disputes (except divorce); |
| (ii) Cheque dishonour cases under Section 138 NI Act; | (viii) Land Acquisition cases; |
| (iii) Money Recovery cases; | (ix) Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits; |
| (iv) Motor Accident Claims cases (MACT); | (x) Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only); |
| (v) Labour dispute cases; | (xi) Other Civil cases; |
| (vi) Electricity and Water Bills cases; | (xii) Compoundable Traffic Challans |

FOR TRAFFIC CHALLANS:-

- Compoundable Challans pending till 31.08.2023 in **Virtual Courts** will be taken up in this Lok Adalat.
- Step by Step Guide for downloading Challan Slip can be seen by scanning **QR Code No. 1**
- Challan slips can be downloaded by litigants directly through the link <https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat> or scan through **QR Code No. 2** which is given below. Litigants or their Advocates will have to visit the particular Court Complex (as per their choice) on the day of Lok Adalat and produce the **printout of challan slip** before the concerned Lok Adalat Judge for disposal of their challans.
- Aforementioned Link to download traffic challans for National Lok Adalat will be made available to public at Delhi Traffic Police website and DSLSA website from **06th December, 2023 at 10 a.m. till 1.77 Lacs** challans are downloaded from the site.
- **Court Complex, Court Number and timing of Lok Adalat** where the challan can be got disposed of will be mentioned on the Challan Slip.



QR Code-1
Scan for Step
by Step Guide

MUKESH KUMAR GUPTA
MEMBER SECRETARY
Delhi State Legal Services Authority



QR Code-2
Scan to
download
Challan

Settlement of disputes through Lok Adalat ensures speedy disposal, amicable settlement and refund of court fee paid. Award passed in Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any Court against the Award.

(Beware of FRAUD CALLERS impersonating as Lok Adalat/DSLSA employee as DSLSA doesn't make calls for Lok Adalat)

For any query, please contact at:-

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Central Office, 3rd Floor, Rouse Avenue District Courts Complex, New Delhi-110002

Ph: 011-23232124 | E-mail:- lokadalatwing-dslsa@nic.in | Website:- www.dslsa.org | Toll Free Helpline No. 1516 (24x7)



राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण
के तत्वाधान में
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
नेशनल लोक अदालत

का आयोजन करने जा रही है
रविवार, 10 दिसंबर, 2023



सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामलों के आपसी सुलह से निपटारे हेतु
सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

दिल्ली उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), दिल्ली राज्य उपभोक्ता
ववाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली एवं स्थायी लोक अदालत आएँ

- वादी या प्रतिवादी अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं जहां उनके मामले लंबित हैं।
- अभी तक जो मामले न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं उनके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन 30 नवंबर, 2023 तक दे सकते हैं।

लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले लिए जाएंगे :-

- | | |
|---|--|
| (i) आपराधिक कम्पाउंडेबल मामले; | (vii) वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर); |
| (ii) धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत चैक बाउंस के मामले; | (viii) भूमि अधिग्रहण के मामले; |
| (iii) धन वसूली के मामले; | (ix) वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले; |
| (iv) मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी); | (x) राजस्व मामले (जोकि केवल जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित); |
| (v) श्रम विवाद के मामले; | (xi) अन्य दीवानी मामले; |
| (vi) बिजली और पानी के बिल के मामले; | (xii) कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान |

ट्रैफिक चालान के लिए :-

- **वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट** में 31.08.2023 तक लंबित कम्पाउंडेबल चालान/नोटिस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे।
- **चालान डाउनलोड कैसे करें** के तरीके को जानने के लिए क्यूआर कोड नं. 1 को स्कैन करें।
- वादियों द्वारा चालान परिचियां सीधे <https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat> के लिंक से या नीचे दिए गए क्यूआर कोड नं. 2 को स्कैन के माध्यम से ही डाउनलोड की जा सकती है। वादियों या उनके अधिवक्ताओं को लोक अदालत के दिन विशेष न्यायालय परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत न्यायाधीश के समक्ष **चालान पर्वी का प्रिंटआउट** प्रस्तुत करना होगा।
- नेशनल लोक अदालत के लिए ट्रैफिक चालान डाउनलोड करने के लिए **उपरोक्त लिंक 06 दिसंबर, 2023 को सुबह 10 बजे से 1.77 लाख चालान** डाउनलोड होने तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएंगे।
- चालान परिचियों पर न्यायालय परिसर, न्यायालय संख्या और लोक अदालत के समय का उल्लेख होगा।



क्यूआर कोड-1
चालान कैसे डाउनलोड
करें के लिए स्कैन करें

मुकेश कुमार गुप्ता
सदस्य सचिव
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण



क्यूआर कोड-2
चालान डाउनलोड
के लिए स्कैन करें

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होता है और भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पारित अर्वाड विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इस अर्वाड के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं होती। (लोक अदालत/डीएसएलएसए कर्मचारी के नाम से धोखाधड़ी कॉल से सावधान रहें। डीएसएलएसए लोक अदालत के लिए कॉल नहीं करता है।)

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें:-

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110002

फोन: 011-23232124 | ईमेल: lokadalatwing-dslsa@nic.in | वेबसाइट: www.dslsa.org

टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 1516 (24x7)